



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2015/ज्येष्ठ 5, 1937

No. 337]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2015/JYAISTHA 5, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 26 मई, 2015

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) (तीसरा संशोधन) विनियमावली विनियमावली, 2015**

**सा.का.नि. 425(अ).**—भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार के परामर्श से, विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 1/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

**2. विनियमों में संशोधन.**—विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली 2000 में, विनियम-4 में, उप-विनियम (ए) में, मौजूदा परंतुकों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“बशर्ते कि—

(ए) उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित अथवा जारी नियमों अथवा विनियमों अथवा निदेशों अथवा आदेशों के तहत कोई निवासी व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष किसी प्राधिकृत व्यक्ति से 2,50,000 अमरीकी डॉलर अथवा अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट पूंजी खाता लेनदेन के लिए, समय-समय पर, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी राशि आहरित कर सकता है।

**स्पष्टीकरण:** समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई, 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली 2000 की अनुसूची-III की मद सं. 1 के अनुसार विदेशी मुद्रा का आहरण उपर्युक्त परंतुक (ए) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा में समाहित होगा।

(बी) जहां किसी निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा का आहरण अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी पूंजी खाता लेनदेन हेतु प्रति वित्तीय वर्ष 2,50,000 अमरीकी डॉलर, अथवा समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सीमा, जैसा भी मामला हो, से अधिक होगा वहाँ संबन्धित लेनदेनों हेतु विनिर्दिष्ट सीमाएं ऐसे आहरणों पर लागू होंगी।

बशर्ते यह भी कि उक्त परंतुक (ए) के अंतर्गत आहारित 2,50,000 अमरीकी डॉलर की विदेशी मुद्रा का कोई भी भाग, समय-समय पर वित्तीय कार्रवाई कार्यदल और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी संबंधितों को असहयोगी देशों और भू-क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित को, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में विप्रेषित नहीं किया जाएगा।”

[सं. फेमा. 341/2015-आरबी]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

**पाद टिप्पण :** मूल विनियमावली 5 मई, 2000 के सा.का.नि. सं. 384(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:—

सा.का.नि. सं. 207(अ) 23 मार्च, 2004

सा.का.नि. सं. 14(अ) 5 जनवरी, 2008

सा.का.नि. सं. 551(अ) 14 अगस्त, 2013

सा.का.नि. सं. 488(अ) 11 जुलाई, 2014

## RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

### NOTIFICATION

Mumbai, the 26th May, 2015

#### Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Third Amendment) Regulations, 2015

**G.S.R. 425(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6, Sub-Section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India, in consultation with Central Government, makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 1/2000-RB dated May 3, 2000) namely:—

**1. Short title and commencement.**—These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Third Amendment) Regulations, 2015.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment to the Regulations.**—In the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000, in Regulation 4, in sub-regulation (a), for the existing provisos, the following shall be substituted:—

"PROVIDED that—

- (a) subject to the provisions of the Act or the rules or regulations or directions or orders made or issued thereunder, a resident individual may, draw from an authorized person foreign exchange not exceeding USD 250,000 per financial year or such amount as decided by Reserve Bank from time to time for a capital account transaction specified in Schedule I.

*Explanation:* Drawal of foreign exchange as per item number 1 of Schedule III to Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000 dated 3rd May, 2000 as amended from time to time, shall be subsumed within the limit under proviso (a) above.

- (b) Where the drawal of foreign exchange by a resident individual for any capital account transaction specified in Schedule I exceeds USD 250,000 per financial year, or as decided by Reserve Bank from time to time as the case may be, the limit specified in the regulations relevant to the transaction shall apply with respect to such drawal.

PROVIDED FURTHER that no part of the foreign exchange of USD 250,000, drawn under proviso (a) shall be used for remittance directly or indirectly to countries notified as non-co-operative countries and territories by Financial Action Task Force (FATF) from time to time and communicated by the Reserve Bank of India to all concerned."

[No. FEMA. 341/2015-RB]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

**Foot Note :** The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. No. 384(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended *vide*:

G.S.R. 207(E) dated March 23, 2004

G.S.R. 14(E) dated January 5, 2008

G.S.R. 551(E) dated August 14, 2013

G.S.R. 488(E) dated July 11, 2014